FC 221126

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

लखनऊ विश्वविद्यालय की वित्त–समिति की बैठक, आज दिनाँक दिनाँक 26 नवम्बर, 2022 को अपराह्न 01:00 बजे, मा० कुलपति जी की अध्यक्षता मे प्रशासनिक भवन स्थित मंथन कक्ष में आहूत की गयी।

बैठक में निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित रहेः–

1	**प्रो० आलोक कुमार राय**	**कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय**	**अध्यक्ष**
2	श्री सम्पूर्णानन्द	(अपर निदेशक, कोषागार एवम् पेंशन) प्रतिनिधि – अपर मुख्य सचिव, (वित्त), उत्तर प्रदेश शासन।	(सदस्य)
3	श्री सर्वेश कुमार सिंह	संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (अनुभाग–4) अपर मुख्य सचिव, (उच्च शिक्षा) उत्तर प्रदेश शासन के नामित प्रतिनिधि	(सदस्य)
4	डा० संजय मेधावी	कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय	(सदस्य)
5	श्री विद्यानन्द त्रिपाठी	परीक्षा नियंत्रक, लखनऊ विश्वविद्यालय	(सदस्य)
6	श्रीमती हिमानी चौधरी	वित्त–अधिकारी, लखनऊ विश्वविद्यालय	(सदस्य सचिव)

बैठक का कार्यवृत्त निम्नवत् है :

बिन्दु संख्या–01

वित्त–समिति की बैठक दिनाँक 03 सितम्बर, 2022 का कार्यवृत्त एवं अनुपालन–आख्या समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिस पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–02

टैगोर लाईब्रेरी, लखनऊ विश्वविद्यालय के अवैतनिक पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा प्रेषित प्रस्ताव कि टैगोर लाईब्रेरी में संग्रहीत प्राचीन एवं दुलर्भ ग्रन्थों, पाण्डुलिपियों को संकलित करने

26-11-22

का कार्य श्री एस॰एम॰एच. रिजवी से रू॰ 1000/– प्रतिदिन की दर से दिनाँक 31 दिसम्बर, 2022 तक कार्य लिए जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति द्वारा विचार–विमर्श के निम्नवत् निर्णय लिया गया :

समिति के द्वारा रू0 25000/– मात्र तक की सीमा के अर्न्तगत नियमानुसार प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करते हुए कार्य कराये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया साथ ही उक्त कार्य का सत्यापन अवैतनिक पुस्तकालयाध्यक्ष, टैगोर पुस्ताकलय द्वारा किये जाने के उपरान्त ही सम्बन्धित को भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

बिन्दु संख्या–03

टैगोर लाईब्रेरी, लखनऊ विश्वविद्यालय के अवैतनिक पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा प्रेषित प्रस्ताव कि टैगोर लाईब्रेरी में विगत नैक टीम भ्रमण के दौरान पूर्व में आंवटित कन्टीजेन्सी व्यय रू॰ 5.00 लाख के हो जाने के उपरान्त रू॰ 5.00 लाख अतिरिक्त आवंटित किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति द्वारा विचार–विमर्श के उपरान्त कन्टीजेन्सी मद की सीमा को रू॰ 5.00 लाख से बढ़ाकर रू॰ 7.50 लाख किये जाने अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–4

विभागाध्यक्ष ओरियन्टल स्ट्डीज पर्शियन विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव, जिसमें विभाग हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में विविध आकस्मिक व्यय के अन्तर्गत आवंटित धनराशि रू॰ 50,000/– के स्थान पर रू॰ 1,00,000/– किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति द्वारा विचार–विमर्श के उपरान्त कन्टीजेन्सी मद की सीमा को रू॰ 50,000/– से बढ़कार रू॰ 75,000 लाख किये जाने अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–5

विभागाध्यक्ष मानव विज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव जिसमें मानव विज्ञान विभाग में संचालित रेगुलर कोर्स से सम्बद्ध विषय–विशेषज्ञों को स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में पढ़ा रहे विषय–विशेषज्ञों की भाँति मानदेय का भुगतान किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार–विमर्श के उपरान्त सम्बन्धित प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त की गई।

26-11-22

बिन्दु संख्या–6

परीक्षा शुल्क के ढाँचे पर विचार–विमर्श कर निर्णय लिये जाने हेतु सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में मा॰ कुलपति जी द्वारा एक समिति गठित की जायगी। उक्त समिति द्वारा पूर्ण विवरण के साथ परीक्षा शुल्क के ढाँचे पर विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर वित्त समिति की अगली बैठक मे प्रस्तुत किया जाय।

बिन्दु संख्या–7

समिति द्वारा निदेशक, भैषजिक विज्ञान संस्थान, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा विभाग में संचालित बी॰फार्मा एवं डी॰फार्मा प्रोग्राम के अन्तर्गत सृजित पदों में निम्नानुसार किये गये आंशिक संशोधन सम्बन्धित प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया :

Sl No.	Department / Division	Name of Post	Sectioned post EC-2021	Required post as per PCI Norms		Remarks
				UG	PG	
1	Institute	Director	01	01	-	-
2	Department of Pharmaceutics *	Professor	01	01	-	-
		Associate Professor	00	02	02	+4
		Asst. Professor	09	07	-	-2
3	Department of Pharmaceutical Chemistry (Including Pharmaceutical Analysis)	Professor	00	01	-	+1
		Associate Professor	01	02	-	+1
		Asst. Professor	08	06	-	-2
4	Department of Pharmacology	Professor	00	01	-	+1
		Associate Professor	01	01	-	-
		Asst. Professor	07	04	-	-3
5	Department of Pharmacognosy	Professor	01	01	-	-
		Associate Professor	00	01	02	+1
		Asst. Professor	05	03	-	-2
6	Department of Pharmacy Practice & related subjects	Professor	-	00	-	-
		Associate Professor	-	01	-	+1
		Asst. Professor	-	00	-	-
			33	**31**	**04**	

निर्णय हुआ कि पी0सी0आई0 के मानकों के क्रम में प्रस्तावित शिक्षकों के पद का सृजन यदि कार्य परिषद द्वारा किया जाता है तो स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 0214/70–4/2000–7(7)/94 दिनॉक 04.02.2000 के अधीन नियमानुसार व्यय किया जा सकता है।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर कार्यपरिषद से अनुमोदन प्राप्त करने की प्रत्याशा में अनुसार सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी। साथ ही पदों के सृजन के सम्बन्ध में हुए निर्णय की सूचना उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

बिन्दु संख्या–8

शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, प्रयागराज द्वारा समस्त कुलसचिव, राज्य विश्वविद्यालयों को प्रेषित पत्र, जिसके माध्यम से प्रदेश के समस्त शासकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में अध्ययनरत् समस्त छात्र/छात्राओं से रू॰ 50–50 की धनराशि प्राप्त कर रोवर्स/रेंजर्स फण्ड में जमा किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय तथा समस्त सहयुक्त शासकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में अध्ययनरत् समस्त छात्र/छात्राओं से रू॰ 50–50 की धनराशि प्राप्त कर रोवर्स/रेंजर्स फण्ड में जमा किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु।

अन्य बिन्दु सं॰–1

वित्त–समिति के समक्ष चार अन्य जनपदों के महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त होने के उपरान्त स्ववित्त पोषित महाविद्यालय के शिक्षकों को परीक्षा सम्बन्धी कार्यों हेतु विश्वविद्यालय एवं सहयुक्त महाविद्यालयों में आने–जाने हेतु यात्रा भत्ते के निर्धारण हेतु मा॰ कुलपति जी द्वारा गठित समिति की संस्तुतियों पर चर्चा की गयी व निर्णय लिया गया कि उक्त हेतु उत्तर–प्रदेश शासन के यात्रा भत्तों के निर्गत शासनादेशों के अनुरूप भुगतान हेतु गठित समिति की संस्तुतियों पर अनुमोदन प्रदान

किया गया। यह भुगतान वित्तीय वर्ष 2022–23 [redacted]. में वित्त समिति की बैठक दिनॉक 26.11.2022 के उपरान्त की गई यात्राओं पर नियमानुसार प्रभावी होंगी।

मा॰ अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

(हिमानी चौधरी)
वित्त अधिकारी

(विद्यानन्द त्रिपाठी)
परीक्षा नियंत्रक

(डा॰ संजय मेधावी)
कुलसचिव

(सर्वेश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (अनुभाग–4)
प्रतिनिधि – अपर मुख्य सचिव,
(उच्च शिक्षा), उ॰प्र॰ शासन

(प्रो0 आलोक कुमार राय)
कुलपति / अध्यक्ष

(सम्पूर्णानन्द)
अपर निदेशक, पेंशन एवं कोषागार,
प्रतिनिधि – अपर मुख्य सचिव (वित्त),
उ॰प्र॰ शासन।